[23/3/2021]

प्रश्न सं. [क. 6298]

"अ"

..रेशिष्ट "01"

कार्यालय नगर पालिक निगम भोपाल

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रं. 6298

वर्तमान में नगर पालिक निगम, भोपाल में निम्नानुसार यंत्री पदस्थ है :–

क्रं.	पद	संख्या	रिमार्क
01	मुख्य अभियंता	---	
02	अधिक्षण यंत्री	02	01 संविदा पर 01 शासन द्वारा प्रभारी अधीक्षण यंत्री के पद पर पदस्थ
03	कार्यपालन यंत्री	03	
04	सहायक यंत्री	20	
05	उपयंत्री	87	

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

उपायुक्त (सा.प्र.वि)
नगर निगम,भोपाल

अधीक्षक
शाखा–एक
नगरीय [illegible] एवं विकास
म.प्र. भोपाल

-5-D-

परिशिष्ट 4 व 5

कार्यालय मुख्य अभियंतालोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग भोपाल परिक्षेत्र भोपाल

(भूतल"ग" विंगसतपुडाभवन, भोपालदूरभाष0755-2551594,फैक्स-0755-2577729,ई-मेल cephbpl@mp.nic.in

क्रमांक 04 /शिका./मु.अ./लो.स्वा.यां.वि./परिक्षेत्र भोपाल / दिनांक 01/01/2021

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

विषय:- शिकायत आवक क्रमांक 1521/2020 विरूद्ध श्री जेड.ए.खान, श्री बी.एस.सेंगर एवं अन्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल।

संदर्भ:- आपका पत्र क्र. 7322 दि. 5.11.2020 एवं पत्र क्रमांक 7813/सी-5-बी/ 2020 दि. 25.11.2020

-0-

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें। शिकायत में श्री जेड.ए.खान श्री बी.एस.सेंगर सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल को मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में पदावनत करने तथा शासकीय निर्देशों की अवहेलना की जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है जिसकी जांच की गई, जो कि निम्नानुसार है :-

श्री जेड.ए.खान, श्री बी.एस.सेंगर एवं अन्य के संबंध में लेख है कि मान. उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्र. 12992/2018, 18413/2018 एवं 18112/2018 में दि. 4.11.2019 को निर्णय पारित किया गया (छायाप्रति संलग्न है) जिसमें मान. उच्च न्यायालय द्वारा इंस्टीटूट आफ सिविल इंजीनियर्स (इंडिया) लुधियाना की उपाधि को दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत अर्जित उपाधि नहीं माना गया है। इसके अतिरिक्त उक्त् संस्थान द्वारा दिनांक 31.5.2013 के पूर्व की सभी उपाधियों को शासकीय सेवा के लिये उपयुक्त माना गया है। श्री खान एवं श्री सेंगर की उपाधि प्राप्त करने की फाइनल अंकसूची दिनांक 18.2.2012 की हैं। मान. उच्च न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य में शिकायत निराधार है। (2ख्ता)

SE(A) 4 Enid 2/01

श्री खान की नगर निगम भोपाल में नियम विरूद्ध की गई पदस्थापना के संबंध में लेख है कि अवर सचिव म.प्र. शासन लो.स्वा.यां.विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्र एफ 1-86/2019/1/34 दिनांक 5.3.2020 के द्वारा श्री खान को नगर पालिका निगम भोपाल में 15 जुलाई 2021 तक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया हैं (आदेश की छायाप्रति संलग्न)

श्री खान द्वारा नगर निगम भोपाल में रहकर भ्रष्टाचार के संबंध में तथ्य इस परिक्षेत्र से संबंधित नहीं है पूर्ण तथ्य नगर पालिका निगम भोपाल के कार्यक्षेत्र से संबंधित हैं।

अत: शिकायत में उल्लेखित नगर निगम भोपाल से संबंधित आरोपों को छोड़कर समस्त वर्णित आरोपों की जांच कर, जांच प्रतिवेदन आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

31/12

मुख्य अभियंता

26/ 5/1/21

अ.स.(सि.)/का.स.(अरा.)/ मु.स.क./मु.अभी./स्टेनो/गोप. दिनांक 05/1/2021

अवर सचिव / अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रमुख अभियंता
क स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
जल भवन, बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 5021 /शिका./की.–201/प्र.अ./लो.स्वा.यां./2020 भोपाल, दिनांक 21/7/20

प्रति

अवर सचिव
म.प्र. शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
मंत्रालय भोपाल

विषय :– श्री जेड.ए.खान सहायक यंत्री,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में पदावनत करने तथा शासकीय निर्देशों की अवहेलना के लिये सिविल सेवा आचरण नियम 1955–56 के तहत निलम्बित कर भ्रष्टाचार की जांच करने बाबत्।

सन्दर्भ:–1. नव सनातन मानव कल्याण संघ भोपाल का पत्र दिनांक 19.06.2020
2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 4385 दिनांक 4.7.2020
3. मुख्य अभियंता परिक्षेत्र भोपाल का पत्र क्र. 1674 दिनांक 16.7.2020

–0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भ क्र.–03 से मुख्य अभियंता परिक्षेत्र भोपाल से जांच प्रतिवेदन बिन्दुवार प्राप्त हुआ है, शिकायत में श्री जेड.ए.खान सहायक यंत्री,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भोपाल को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिपालन में पदावनत करने तथा शासकीय निर्देशों की अवहेलना के लिये सिविल सेवा आचरण नियम 1955–56 के तहत निलम्बित कर भ्रष्टाचार की जांच कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है जिसकी बिन्दुवार जांच की गई, जो निम्नानुसार है:–

बिन्दु क्र.–1 के संबंध में लेख है कि मान.उच्च न्यायलाय जबलपुर की रिट याचिका क्र. 12992/2018 18413/2018 एंव 18112/2018 में दिनांक 4.11.2019 को निर्णय पारित किया गया (छायाप्रति संलग्न है)जिसमें मान. उच्च न्यायालय द्वारा इंस्टीट्यूट आफ सिविल इंजीनियर्स (इंडिया) लुधियाना द्वारा दुरस्थ शिक्षा के अन्तर्गत दिनांक 31.05.2013 के पश्चत् प्रदान की गई उपाधि को अमान्य किया गया है। उक्त संस्थान द्वारा दिनांक 31.05.2013 के पूर्व की सभी उपाधियों को शासकीय सेवा के लिये उपयुक्त माना गया है । चूंकि श्री खान, संस्थान में भाग 1 एंव 2 जो कि उपाधि प्राप्त करने के लिये पात्रता है,दि. 18.02.2012 को ही पास कर चुके थे। स्पष्टतः उनकी उपाधि सभी शासकीय सेवाओं के लिये मान्य है। अतः शिकायत निराधार है।

बिन्दु क्र.–2 अवर सचिव म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्र. एफ –86/2019/1/34 दिनांक 5.3.2020 के द्वारा श्री खान को नगर पालिका निगम भोपाल से 15 जुलाई 2021 तक कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है (आदेश की छायाप्रति संलग्न)

बिन्दु क्र.–3 के तथ्य इस परिक्षेत्र में संबंधित नही है पूर्ण तथ्य नगर पालिका निगम भोपाल के कार्यक्षेत्र से संबंधित है ।

मुख्य अभियंता परिक्षेत्र भोपाल द्वारा शिकायत में उल्लेखित बिन्दुओं की बिन्दु क्र.–03 को छोड़कर समस्त बिन्दुवार जांच कर, जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया है ।

अतः तद्अनुसार प्रकरण आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

30.7.2020

(के.के. सोनगरिया)
प्रमुख अभियंता

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
ग्रामीण विकास एवं आवास विभाग

Scanned with CamScanner